(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3425–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.08.2013 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 429/2012–13 अपील

मांगीलाल राजपूत पुत्र देवीसिंह
ग्राम मेढ़कीचक तहसील देवास ---आवेदक

विरूद्ध

अम्वाराम पुत्र ओंकारलाल कुमावत
ग्राम मेढ़कीचक तहसील व जिला देवास ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम0एल0चौधरी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश रोईपाल)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को पारित)

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 429/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनादेवक ने तहसीलदार देवास को आवेदन प्रस्तुत कर खसरे एंव कम्प्युटर में गलत ढंग से ग्राम मण्डकी स्थित आराजी क्रमांक 392/1, 393, 394/1, 395/1 कुल किता चार कुल रकबा 0.266 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) पर आवेदक व्दारा गलत नामान्तरण करवा लेने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार देवास ने प्र.क्र. 15/अ–6/11–12

दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23-4-12 पारित करके वादोक्त भूमि पर आवेदक के बजाय अनावेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, देवास के न्यायालय में अपील क्रमांक 56/11-12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 26 जून 2013 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 429/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में तहसील के प्रकरण क्रमांक 2 अ-6/ 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 14-7-97 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है, इस आदेश पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार यह आदेश विधि के प्रभाव से अकृत एंव शून्यवत् है और इसी आदेश का उल्लेख कर आवेदक के नाम की शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि की गई है स्पष्ट है कि हलका पटवारी ने अनावेदक के नाम की भूमि पर साजिसन आवेदक के नाम की फर्जकारी करके प्रविष्टि की है जिसके कारण तहसीलदार देवास ने प्रकरण क्रमांक 15 अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 23-4-12 से फर्जी प्रविष्टि विलोपित करने एंव अनावेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, देवास ने प्र.क्र. 56/11 -12 में पारित आदेश दिनांक 26 जून 2013 में एंव अपर आयुक्त, उज्जैन

संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 429/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-4-12 को उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से पाया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 429/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर